

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक: 22 अगस्त, 2017

विषय: श्री जीवन सिंह बिष्ट, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के नोटरी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-38/चौदह-1-2016 दिनांक 19.01.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री जीवन सिंह बिष्ट, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के नोटरी प्रमाण पत्र सं0-01(10)/2002 का नवीनीकरण दिनांक 03.05.2017 से अग्रिम पांच वर्षों तक के लिए कर दिया गया है। नवीनीकृत नोटरी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नोटरी को हस्तगत किये जाने हेतु संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)  
प्रमुख सचिव

संख्या : 01 /नो0एल0/XXXVI(1)/2017-1 नो0एल0/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. श्री जीवन सिंह बिष्ट, नोटरी/अधिवक्ता, ग्राम, जीतपुर नेगी-मानपुर पश्चिम, रामपुर रोड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
4. गार्ड फाईल/एन0आई0सी।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव